न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जालोर)

पीठासीन अधिकारी : श्री जबरसिंह

मुकदमा नम्बर : 06/2017 दायरा दिनांक : 17.03.2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नैनसिहं पुत्र धीरा, कौम पुरोहित निवासी नाराली त. चितलवाना जालोर		बाबुसिंह, जुंजारसिहं, नारायणसिंह, मोहनसिंह, पिसरान मगा चनणा पत्नि स्व. मगा मांगसिह, हुक्मसिंह, शंकरसिंह, चैनसिंह, पिसरान धीरा जातियान पुरोहित नि. नाराली पटवार हल्का सिवाड़ा त. चितलवाना जिला जालोर राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) चितलवाना

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.06.2019

उपस्थित :

1. प्रार्थी वकील श्री गोरधनराम विश्नोई
2. अप्रार्थी मांगसिंह हुक्मसिंह, शंकरसिंह, चैनसिंह की ओर से श्री रघुवीर पुरोहित
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) चितलवाना

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 251ए प्रस्तुत किया कि ग्राम नाराली पटवार क्षेत्र सिवाड़ा के खेत खसरा नम्बर 869 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 870 रकबा 3.71 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम खातेदारीसुदा आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। तथा मय परिवार निवासरत है। तथा उक्त भूमि में व ढाणी में आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से होकर चलता है। मगर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं करने से प्रार्थी को आवागमन में बाधाकारित है। तथा रास्ता की भूमि पर खाई बाड़ आदि लगाकर आम रास्ता को मौके पर अवरूद्ध कर दिया है। उक्त रास्ते की आवष्यकता प्रार्थी को अत्यंत है। खेतो से अनाज को ले जाने व बच्चों को शिक्षा के लिए जाने आने इत्यादि कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जबकि प्रार्थी उक्त रास्ते से वर्षो से आवागमन करता है। जिससे राजस्व अभिलेख में रास्ता सुविधा के लिए भूमि अभिलिखित की जावे।

2. दिनांक 17.03.2017 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनाक 19.04.2017 को अप्रार्थी मांगसिह, हुक्मसिंह, शंकरसिंह, चैनसिंह की तरफ वकील श्री रघुवीर पुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अन्य प्रार्थी को पुनः नोटिस जारी करने पर दिनांक 17.05.2017को तामिल प्राप्त होने से दिनांक 19.10.2017 को अप्रार्थी बाबुसिंह, जूंजारसिंह, नारायणसिंह, मोहनसिंह व चनणदेवी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं तहसीलदार चितलवाना को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

3. दिनांक 25.01.2019 को तहसीलदार चितलवाना ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम झोटडा के खसरा नम्बर 870 व 869 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत व ढाणी आई हुई है तथा इन खसरा नम्बर में प्रार्थीगण का निवास है। प्रार्थी अपने खेत व ढाणी में

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Scanned by CamScanner

जाने हेतु उनके खेत व नहर के बीच में आए हुए खसरा नम्बर 1455/862 में रकबा 0.02 हैक्टर मात्र भूमि रास्ते हेतु मांग की गई है। खसरा नम्बर 1455/862 जो कि बाबुसिंह वगैराह की खातेदारी भूमि है। संलग्न नक्शे में लाल स्याही से डोटेड लाईन से दर्शाये अनुसार मुख्य नहर के किनारे पर आए हुए रास्ते तक पहुचने के लिए निकतम व एकमात्र रास्ते की मांग की गई है। नक्शा अनुसार प्रार्थीगण का आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौके पर भूमि खाली है तथा किसी प्रकार का कोई आवागमन संबंधित बाधा नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई लगभग 120 मीटर व चौड़ाई 15 फीट के हिसाब से 120 वर्ग मीटर भूमि बनती है। जिसकी नियमानुसार देय राशि (रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली राशि) प्रार्थी जमा करवाने हेतु तैयार है। तहसीलदार चितलवाना से डी. एल.सी. गणना दर से रास्ते हेतु कटने वाली भूमि की राशि की गणना मंगवाई गई जिसके हिसाब से डी.एल.सी. दर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण वकील ने जवाब न देकर प्रार्थना पत्र पर सीधे बहस चाही एवं प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते पर स्वीकृति जाहिर की। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई तहसीलदार चितलवाना की मौका जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन व अवलोकन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाराली पटवार क्षेत्र सिवाड़ा के खेत खसरा नम्बर 1455/862 में से 120 मीटर लम्बा एवं 15 फिट चौड़ा रास्ता प्रस्तुत तहसीलदार चितलवाना द्वारा जांच रिपोर्ट व संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार उक्त रास्ता भूमि को समाविष्ठ करने के संबंध में अभिवृर्ति निर्वापित मानते हुए राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। उक्त रास्ते की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नहीं रहेंगें। तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का आपसी आवागमन में किसी प्रकार की बाधा कारित न करे व करावे। प्रार्थी अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में से रास्ते के रूप में दी गई रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि तहसील राजस्व लेखाकार की गणना अनुसार खसरा नम्बर 1455/862 की वर्तमान डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टर 507753रू है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि की 120 वर्गमीटर 0.0120है. की राशि 6093रू बनती है जिसकी दुगुना रशि 12186रू. नियमानुसार अप्रार्थीगण को अदा करे। उक्त राशि प्रार्थी से तहसीलदार चितलवाना को डी.डी. के जरिये जमा करवाये। जमा होने तहसीलदार द्वारा पर अप्रार्थी को नियमानुसार भुगतान कर दिया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे।

(जबरसिंह)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 14.06.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जबरसिंह)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर

Scanned by CamScanner